न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 85/2024

दायर दिनांक: 26.06.2024

उनवान

1. रघुवीरसिंह पि. करणसिंह जाति राजपूत नि. रोशनबाड़ी तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक :–

अभिभाषक प्रार्थी :– रमीज रजा

अप्राथी :– पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 23.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2073–2076 ग्राम रोशनबाड़ी पटवार हल्का कड़ोदिया भू०अभि०नि० दुबलिया तहसील रायपुर जिला में नई खाता संख्या 98 पुरानी खाता संख्या 78 कि आराजी खसरा संख्या 192 रकबा 0.3794 है० स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न है। यह कि प्रार्थी का सही नाम रघुवीरसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोशनबाड़ी तह० रायपुर जिला झालावाड़ राज. है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड यानी जमाबंदी नकल में प्रार्थी का नाम रघुराजसिंह पिता करणसिंह दर्ज हो रहा है। यह त्रुटिपूर्ण अंकन किस प्रकार और कैसे चला आ रहा है इसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं है। यह अंकन गलत दर्ज हो रहा है। उक्त खाते में गलत नाम दर्ज होने की वजह से प्रार्थी को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है और कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित जमाबंदी में अपने गलत नाम रघुराजसिंह के स्थान पर सही नाम रघुवीरसिंह दर्ज करवाने का पूरा अधिकार है। यह कि प्रार्थी के इस आराजी के अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

एक अन्य आराजी भी ग्राम ग्राम रोशनबाड़ी पटवार हल्का कड़ोदिया भू०अभि०नि० दुबलिया तह० रायपुर जिला में नई खाता संख्या 99 पुरानी खाता संख्या 15 कि आराजी खसरा संख्या 28, 429, 430, 431 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.3270 है0 में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी का सही नाम रघुवीरसिंह पिता करणसिंह दर्ज हो रहा है। यह कि प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन–आधार कार्ड व अन्य जमाबंदी नकल इत्यादि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम रघुवीरसिंह दर्ज हो रहा है (नकल, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन–आधार कार्ड व अन्य जमाबंदी नकल) संलग्न है। यह कि प्रार्थी पढ़ा–लिखा नहीं है और कानून की जानकारी भी नहीं रखता है। प्रार्थी को जब अपने गलत नाम इन्द्राज का पता चला तो प्रार्थी ने हल्का पटवारी और तहसीलदार महोदय से सम्पर्क किया और जमाबंदी में गलत नाम रघुराजसिंह के स्थान पर सही नाम रघुवीरसिंह दर्ज कराने का आग्रह किया तो उन्होनें माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पिड़ावा को आदेश दिया जावे की वे ग्राम रोशनबाड़ी पटवार हल्का कड़ोदिया भू०अभि०नि० दुबलिया तह० रायपुर जिला में नई खाता संख्या 98 पुरानी खाता संख्या 78 कि आराजी खसरा संख्या 192 रकबा 0.3794 है0 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम रघुराजसिंह पिता करणसिंह के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम रघुवीरसिंह पिता करणसिंह शुद्ध किये जाने बाबत त्रुटि दुरुस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/785 दिनांक 16.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी रघुवीरसिंह पि. करणसिंह जति राजपूत नि. रोशनबाड़ी द्वारा श्रीमान के न्यायालय उपखण्ड पिडावा के यहाँ नाम शुद्धि बाब[illegible]त्र पेश किया है जिसकी जांच पटवारी कडोदिया से [illegible] गई। जाच [illegible] पर पाया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व ग्राम रो[illegible] की [illegible] सं. 2073–76 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

5

खाता न. 98 की आराजी ख.न. 192 रकबा 0.3794 है में रघुराजसिंह पुत्र करणसिह नाम दर्ज है। आवंटन के नामा.सं. 405 में भी रघुराजसिंह दर्ज है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड, स्थायी लेखा संस्था कार्ड, बैंक डायरी, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थी का नाम रघुवीरसिंह पुत्र करणसिंह राजपूत नि रोशनबाडी दर्ज है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम रोशनबाडी के खाता संख्या 98, 99 की जमावन्दी सम्वत 2073–76, खसरा नक्शा दिनांक 25.06.2024, खसरा गिरदावरी नकल, रघुवीरसिंह का आधारकार्ड (849233170742), भारत सरकार का पेनकार्ड (PTBPS8905M) एवं सौरमकुंवर का जनाधार कार्ड (4864748025) पेश किया।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर द्वारा ग्राम रोशनबाडी के खाता संख्या 98 व 99 की जमाबन्दी सम्वत 2073–76, रघुवीरसिंह का आधारकार्ड, बैंक खाता पासबुक, पेनकार्ड, ग्राम पंचायत कडोदिया का प्रमाण पत्र दि. 02.09.2024 एवं भू.आवंटन नामा.सं. 405 दि.04.06.2002 पेश की।

5. प्रार्थी अभिभाषक एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रोशनबाडी के खाता सं. 98 जमाबंदी सं. 2073–76 में ख.नं. 192 रकबा 0.3794 है. भूमि में राजस्व कार्मिको द्वारा भू.आ0वंटन नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का गलत नाम रघुराजसिंह पि. करणसिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम रघुवीरसिंह पि. करणसिंह है। प्रार्थी के आधारकार्ड (849233170742), भारत सरकार का पेनकार्ड (PTBPS8905M), सौरमकुंवर का जनाधार कार्ड (4864748025) आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम रघुवीरसिंह पि. करणसिंह दर्ज है। ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी खाता सं. 99 में प्रार्थी की सही नाम रघुवीरसिंह पि. करणसिंह दर्ज है। ग्राम पंचायत कडोदिया सरपंच द्वारा जारी का प्रमाण पत्र दिनांक 02.09.2024 में भी प्रार्थी का सही नाम रघुवीरसिंह पि. करणसिंह बताया है। रघुराजसिंह पि. करणसिंह एवं रघुवीरसिंह पि. करणसिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है इसलिए ग्राम रोशनबाडी के खाता सं. 98 जमाबंदी सं. 2073–76 में ख.नं. 192 रकबा 0.3794 है. भूमि में राजस्व कार्मिको द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नाम में की गई त्रुटी को दुरूस्त कर प्रार्थी का नाम रघुराजसिंह पि. करणसिंह के स्थान पर रघुवीरसिंह पि. करणसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक प्रार्थी ने आगे बताया कि ग्राम रोशनबाडी के खाता सं. 98 में प्रार्थी के नाम का गलत अंकन होने से प्रार्थी को अपनी आराजी का विकास करने, ऋण लेने एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों को सामना करना पड रहा है। अतः उक्त त्रुटी को शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

6. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाव प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी स. 2073–76 के खाता न. 98 की आराजी ख.न. 192 रकबा 0.3794 है में प्रार्थी का नाम रघुराजसिंह पुत्र करणसिह नाम दर्ज है जो भू.आवंटन के नामा.सं. 405 दिनांक 04.06.2002 से दर्ज हुआ है। उक्त भूमि प्रार्थी को सहायक कलक्टर मुख्यालय झालावाड के आवंटन आदेश दिनांक 04.06.2002 से आवंटन केम्प रोशनकाडी में दिनांक 04.06.2002 को आवंटन हुई थी। राजस्व रिकार्ड में आवंटन आदेशानुसार ही प्रार्थी का नाम रघुराजसिंह दर्ज किया गया था। राजस्व कार्मिको द्वारा नामान्तरण के दौरान नाम दर्ज करने में कोई त्रुटी नहीं की गई है। तहसीलदार ने आगे तर्क किया गया कि प्रार्थी के आधार कार्ड, स्थायी लेखा संस्था कांर्ड, बैंक डायरी में में प्रार्थी का नाम रघुवीरसिंह पुत्र करणसिंह राजपूत नि रोशनबाडी किस आधार पर अंकित है, स्वयं प्रार्थी साबित करें। यदि प्रार्थी के नाम में त्रुटी आवंटन आदेश में हुई है तो प्रार्थी को भूमि आवंटन नियम 1970 के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसी त्रुटी को धारा 136 एलआरएक्ट में दुरूस्ती नहीं किया जा सकता है। ऐसी त्रुटी पेरोकार सरकार या राजस्व विभाग की गलती के कारण नहीं होकर पक्षकार की गलती की वजह से हुई है।

7. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रोशनबाडी की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 98 किता 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त [illegible] प्रार्थी का नाम रघुराजसिंह पि. करणसिंह दर्ज है। [illegible] ग्राम रोशनबाडी के नामा.सं. 405 दिनांक 04.06.2002 [illegible] से स्पष्ट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कि वादग्रस्त आराजी सहायक कलक्टर झालावाड व केम्प प्रभारी केम्प स्थल रोशनबाडी द्वारा अपने आवंटन आदेश कमांक 15/रीडर/02 की पालना में सरकारी भूमि ख.नं. 192 रकबा 1–10 बीघा का आवंटन रघुराजसिंह पि. करणसिंह, पान कुंवर पत्नि तंवरसिंह, सौरभकुंवर पत्नि रघुराजसिंह जाति राजपूत को किया गया था जो तहसीलदार पिडावा के आदेश कमांक 17/एलआर/02 दिनांक 04.06.2002 की पालना में रसीद कमांक 62314/1 से 5 रू की पटटा फीस जमा किये जाने के बाद नामा. सं. 405 से गैर खातेदारी दर्ज हुई थी। अतः स्पष्ट है कि आवंटन नामान्तरण में प्रार्थी का नाम रघुराजसिंह पि. करणसिंह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश की कोई प्रति पेश नहीं की गई है न ही सहायक कलक्टर झालावाड के आदेश कमांक 15/रीडर/02 दिनांक 04.06.2002 की प्रतिलिपी पेश की गई है। आवंटन आदेश की प्रतिलिपी के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हे कि आवंटन आदेश में प्रार्थी का नाम रघुराजसिंह पि. करणसिंह ही दर्ज था या कोई अन्य नाम दर्ज था। प्रार्थी की कानूनी जिम्मेदारी है कि वह साबित करे कि "आवंटन आदेश में उसका सही नाम रघुवीरसिंह दर्ज था लेकिन राजस्व रिकार्ड में भू.आवंटन नामान्तरण सं. 405 दर्ज करते समय राजस्व कार्मिको ने गलत नाम रघुराजसिंह दर्ज कर दिया गया" लेकिन प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहा है। राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटन का इन्तकाल दर्ज करते समय या फर्द बदर तैयार करते समय कोई त्रुटी नहीं की है। **आवंटन दस्तावेज** में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

6

अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

136. Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में ग्राम रोशनबाडी के खाता सं. 98 जमाबंदी सं. 2073–76 में ख.नं. 192 रकबा 0.3794 है. कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण एवं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में खारीज कया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा (झालावाड़) (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner